

मार्च-2010-2021 के लिए आरक्षी सशस्त्र पुलिस/पीएसी से मुआवजा पीएसी के पद पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्योष्ठता के आधार पर प्रोन्नति हेतु बोर्ड प्रपत्र

क्र० सं०	ज्योष्ठता सूची का क्रमांक	पात्रता सूची का क्रमांक	पी0एन0 ओ0 नं0	कर्मि का नाम	पिता का नाम	केंद्र	वर्तमान नियुक्ति	जन्म तिथि	आरक्षी के पद पर मती के तिथि	सेवा अवधि ययन वर्ष 2020 के लिए कट आक डेट 01. 07 2020 के अनुसार)	वार्षिक गोपनीय मत्व्य मती/रिक्ति के वर्ष पूर्ववती 10 वर्षों (वर्ष 2010-2019 तक) के लिए	सत्यानिष्ठा मती/रिक्ति के पूर्ववती 10 वर्षों (वर्ष 2010-2019 तक) के लिए	दीर्घ दण्ड-नियम-14(1) मती/रिक्ति के वर्ष के पूर्ववती 10 वर्षों (वर्ष 2010-2019 तक) के लिए	लघु दण्ड-नियम-14(2) मती/ रिक्ति के वर्ष के पूर्ववती 10 वर्षों (वर्ष 2010-2019 तक) के लिए	वर्तमान निलम्बन निलम्बन की वर्तमान स्थिति डीपीसी के दिनांक (तक)	बोर्ड प्रपत्र-7 (प्रत्येक कर्मि का एक पंज पत्र)	कार्यवाही नियम14(1) के अन्तर्गत	अभ्यापी के दण्ड/ अनुशासनिक कार्यवाही/ अभियोग/ प्रोन्नति आदि के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय/ अधिकरण के आदेश (स्मान/रिक्ति) द्वारा जारी की परनीय प्रति सहित)	संस्तुति	
1							जनपद/इकाई													
2							परिक्षेत्र/अनुभाग													
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				
33																				
34																				
35																				
36																				
37																				
38																				
39																				
40																				
41																				
42																				
43																				
44																				
45																				
46																				
47																				
48																				
49																				
50																				
51																				
52																				
53																				

शासनाय निर्देश:-

1. प्रत्येक कालम को स्पष्ट रूप से भरा जायेगा यदि किसी कालम में कोई सूचना अंकित नहीं की जाती है तो उसके कालम में स्पष्ट रूप से शून्य अंकित किया जाय।
2. उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में Kruti Dev 010 फॉन्ट में ही तैयार की जाय।
3. एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाय। Lines/cells को Merge न किया जाय।
4. एक ही cell में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाय।
5. उपर्युक्त सूचनारो मात्र बोर्ड प्रपत्र को भरने के लिये मार्गदर्शन हेतु हैं।
6. एक पृष्ठ पर एक अभ्यर्थी की ही सूचना अंकित की जायेगी।
7. अपूर्ण प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

कार्यालय/विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
कार्यालय